(60)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 भोपाल

रिवीजन क.
निगरानी 130-RBA/15

श्रीमती आशा जायसवाल
पत्नि स्व.श्री दिनेश कुमार जायसवाल
आयु वयस्क निवासी केसरी नगर,
बारा पत्थर, बावरिया रोड,
सिवनी म0प्र0 --- रिवीजनकर्ता/आवेदिका

विरूद्ध

श्रीती रश्मि जायसवाल
पत्नि श्री चंद्रशेखर जायसवाल
आयु वयस्क निवासी शांति बिहार
बारा पत्थर, बावरिया रोड,
सिवनी म0प्र0 हालमुकाम-ई-6/5सी
चारइमली भोपाल म0प्र0 --- अनावेदिका

श्री मनीश नेमा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13.1.15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
13-1-15

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

4.1.15

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण श्रीमान अनुविभागीय महोदय तह0 हुजूर जिला भोपाल के द्वारा प्रकरण क. 133/अपील/13-14 श्रीमती रश्मि जायसवाल विरूद्ध श्रीमती आशा जायसवाल व अन्य में पारित आदेश पत्रिका में पारित आदेश दि0 22/12/14 से असंतुष्ट व क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करती है:-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 130-पीबीआर/2015 [आशा/रश्मि] जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 133/अपील/2013-14 में पारित आदेश दि. 22-12-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विलम्ब के संबंध में प्रत्येक दिन की स्थिति को उचित रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में अनावेदक द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताया गया है इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में विलम्ब क्षमा करने का पारित अंतरिम आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 5 के आवेदन पर उसे सही समय सीमा से छूट दी गई है, क्योंकि अनावेदक के पास वसीयत भी है, जिसकी जॉच अभी होना है । अत: अपील का गुणदोष पर निराकरण किया जाना उचित है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में 2003 आरएन 198 जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंक लि0तथा एक अन्य विरूद्ध हिम्मतप्रसाद में इस आशय का निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है :- "परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा-5-विलम्ब की माफी के लिये आवेदन-उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये-विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शाया-विलम्ब माफ किया गया ।" अत: उपरोक्त प्रकाश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दि. 22-12-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	